METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष कारावास तथा 50,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एडीजीसी श्री राम प्रकाश तिवारी

पैरोकार का0 राज कुमार सिंह

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा उ0निरी0 संकठा प्रसाद मौर्य मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश संदिग्धत व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान पकरि रोड पुलिया पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखायी दिया जिसकी तलाशी से अभियुक्त के पास 60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ। जिसके विरूद्ध थाना जायस पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 12.02.2026 को माननीय न्यायालय एएसजे-08 रायबरेली द्वारा अभियुक्त को *07 वर्ष का कारावास एवं 50,000/- रुपये अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को *07 वर्ष का कारावास।*
- *अभियुक्त को 50,000 /- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास।*

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- ***रामसमुझ लोध पुत्र बाबूलाल लोध नि0 राजा का पुरवा मजरे बारकोट थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।***

@amethipolice

सोशल मीडिया सेल अमेठी